



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

"अपराध की हर चाल होगी नाकाम, सीतापुर पुलिस का सुरक्षा अभियान।"

बायोमेट्रिक धोखाधड़ी कर फर्जी/एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने वाले अंतर्जनपदीय

अभियुक्त को सीतापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

25 सिम कार्ड, 5 स्मार्टफोन/कीपैड मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक:-04.10.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए टीमें गठित कर घटनाओं के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया है-

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 04.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसवां श्री हर्षित चौहान के नेतृत्व में थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए बायोमेट्रिक धोखाधड़ी कर फर्जी/एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने वाले अंतर्जनपदीय अभियुक्त अंकित राठौर पुत्र लालाराम राठौर ग्राम अलियापुर थाना पिहानी जनपद हरदोई को रेलवे कॉलोनी कस्बा बिसवां के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.10.2026 को थाना बिसवां पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गश्त व चेकिंग के दौरान कस्बा बिसवां में मौजूद थे कि रेलवे कॉलोनी के पास से अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी अंकित राठौर को रोका गया जिसपर वो तेज रफ्तार के साथ बाइक लेकर भागने का प्रयास करने लगा आवश्यक बल प्रयोग व घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 25 सिम कार्ड (अलग-अलग कम्पनियों के) 5 स्मार्टफोन/कीपैड मोबाइल व अन्य अवैध समान बरामद हुए।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि- POS एजेंट आईडी व बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान व आंख की पुतली) का दुरुपयोग कर अन्य निर्दोष/अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेता था। इसके बाद वह इन सक्रिय (एक्टिवेटेड) सिमों को अधिक दाम में अनधिकृत व्यक्तियों को

बेचता था। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वो जिला हरदोई का निवासी हैं और अपनी अपाचे मोटरसाइकिल (UP34AC9487) से अलग-अलग जिलों में घूम-घूमकर वारदात को अंजाम देते हैं।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/26 धारा 318(4)/336(3)/319(2)/340(2) BNS व 66C / 66D IT ACT व 42(3)(E) दूरसंचार अधिनियम 2023 बनाम अंकित राठौर उपरोक्त पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अंकित राठौर पुत्र लालाराम राठौर ग्राम अलियापुर थाना पिहानी जनपद हरदोई

कुल बरामदगी:-

सिम कार्ड (कुल 25 अदद)-

एयरटेल (Airtel): 10 अदद, जियो (Jio): 08 अदद, वीआई (Vi): 07 अदद

नोट:- 03 POS मास्टर सिम के माध्यम से फर्जी बायोमेट्रिक/आईडी द्वारा शेष 22 सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए थे।

मोबाइल फोन (कुल 05 अदद):-

01 अदद Apple iPhone (IMEI: 353317874093298 / 353317874199004)

01 अदद Nothing Android Phone (IMEI: 354484703037240/31 / 354484703037257/31)

01 अदद iTEL कीपैड मोबाइल (3 सिम स्लॉट), 02 अदद Senexion कीपैड मोबाइल (3-3 सिम स्लॉट)

घटना में प्रयुक्त- 01 अदद TVS अपाचे मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नं. UP34AC9487, बिना वैध कागजात) तथा नगदी: ₹500/- (जामा तलाशी से बरामद)

पुलिस टीम थाना बिसवां:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम राघव सिंह
2. उ0नि0 सुधाकर सिंह
3. हे0का0 अमरेन्द्र कुमार द्विवेदी
4. का0 विवेक यादव
5. का0 आकाश कुमार
6. का0 सौरभ कुमार दहिया
7. का0 मो0 कासिम

